

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (New National Educational Policy) →

भूमिका (Introductory) → राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का व्यापक प्रभाव पड़ा

है, सभी प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है, प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित को अनिवार्य कर दिया गया है, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश की आवश्यकता अनुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, परम्परागत मूल्यों में ह्रास हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चने आ रही हैं। इनके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे।

शिक्षा का स्वर और उसकी भूमिका (The Essence and Role Education) →

इसमें यह स्वीकार किया गया है कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और सौंदर्यपूर्ण बनाती है। जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। यह

यह मनुष्य में स्वतंत्र चिन्तन एवं सौच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे हमें लोक-तंत्रीय लक्ष्य-समानता, स्वतंत्रता, श्रद्धा, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश (Investment) है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली - (National System of Education) →

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा - 'एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो' को सर्वप्रथम बरिमत दी जानी चाहिए साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लाभ होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधार-भूत पाठ्यक्रम (Core curriculum) तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिग्रहण स्तर (Minimum level of learning) निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए।

समानता के लिए शिक्षा (Education for Equality) →

इसमें इस पर बल दिया गया कि शिक्षा

के क्षेत्र की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, निकलांगों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए।

विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा (Reorganization of Education at Different Stage - Early childhood care and Education) →

पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर शक्ति निर्धारक विद्यालयों (Power Setting Schools) की स्थापना और उच्च स्तर पर स्कूल विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि कुछ न्युने इस क्षेत्रों में शोधकार्यों को उपाधियों से मिलान करने की शुरुआत की जाएगी।

तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा (Technical and Management Education) →

इसमें तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है।

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना (Making the System work) →

शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है।

शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया ओड़ देना (Reorienting the content and

Process of Education) →

इसमें सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं, खेल-कूद आदि पर बल दिया गया और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

शिक्षक (Teacher) → इसमें शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया है, उनके वेतन बढ़ाने और सेवाशर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव दिये गये हैं।

शिक्षा का प्रबंध (The Management of Education)

इसमें प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा' राज्य स्तर पर 'प्रान्तीय शिक्षा सेवा' और

यिले स्तर पर 'मिला शिक्षा परिषद्' के गठन की बात कही गई है और शिक्षा प्रशासन को चुस्त करने की बात कही गई है; साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है।

संसाधन तथा समीक्षा (Resources and Review) →

इसमें यह स्वीकार किया गया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें इस पर बल दिया गया है कि प्रत्येक पाँच साल बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए।

भविष्य (Future) → इसमें यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में इस प्रतिष्ठित साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे।